

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:

जनपद पिथौरागढ़ में जजुराली से शहीद किशन सिंह ग्राम तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु —
1.71 है० सिविल एवं पंचायती वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/8291/2014)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ वन प्रभाग के 0.36 है० सिविल वन भूमि तथा 1.35 है० पंचायती वन भूमि कुल 1.71 है० वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में आरक्षित वन प्रभावित नहीं हो रहा है तथा अन्य वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल तथा पंचायती वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त की संस्तुति के कम में जनहित में उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:



नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

तिथि : 03 / 03 / 2015

स्थान: देहरादून